

## प्रारूप

### शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....( संस्थान का नाम) .....मैं दिनांक.....को प्रति कालांश के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक,जो भी पहले हो तक गैस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया हूँ।

1. यह है कि मैंने .....संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों के पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/सा वि ले नि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं दिनांक 07.08.2023 को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णयता सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो संस्थान द्वारा अपेक्षित है(यथा पहचानपत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो,न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा प्राप्तांक,निवास,जाति,विकलांगता,भूपू सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र)पूर्णयता सही है।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जावेगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुये मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा /करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. उक्त व्यवस्था द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक,जो भी पहले हो तक जारी रहेगी लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
8. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी कारण से मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।
9. मैं संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निदेशों का पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
10. यह है कि क्रेन्ड सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया जाता है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
11. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता,दुराचरण,अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए गये गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
12. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

### सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य है, मैंने इनको भालिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता